प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022

प्र0सू0रि0 सं. ....480/22........ दिनांक ....21/12/2022........

2.(i)अधिनियम.भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम2018 एंव धारा 7, 7ए एवं 120 बी, 201भा.द.स.

(ii) अधिनियम..धारायें..

(iii) अधिनियम.. धारायें..

(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या........................406 समय ....11:50 A.M.

(ख) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक :– 20.12.2022 समय ....05.00 पीएम ....

(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– सनसाईन होटल के सामने, रीगंस रोड, खाटूश्यामजी, जिला सीकर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से दक्षिण पूर्व करीब 48 किलोमीटर

(ब) पता :– सनसाईन होटल के सामने, रीगंस रोड, खाटूश्यामजी, जिला सीकर।

(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– गोपाल पूनियां

(ब) पिता/पति का नाम :– श्री श्योजीराम पूनिया

(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 50 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....

(य) पासपोर्ट संख्या ....

जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय :– ....

(ल) पता :– निवासी खाटूश्यामजी, वार्ड नं. 18, खाटूश्यामजी, जिला सीकर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. श्री दिनेश कुमार चांदा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा, जाति मीणा, उम्र 33 वर्ष, निवासी 617 झालाना महल जगतपुरा रोड, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका खाटूश्यामजी, जिला सीकर।

2. श्री मगन लाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट उम्र– 39वर्ष निवासी गॉव नयाबास पोस्ट दुधवा पुलिस थाना जीणमाता जिला सीकर हाल मालिक, होटल सनसाईन, खाटुश्यामजी जिला सीकर।

3. श्री पूर्णमल कुमावत पुत्र श्री रामदेव कुमावत जाति कुमावत उम्र–48वर्ष निवासी श्याम बगीची के पास वार्ड नं. 05 खाटुश्यामजी जिला सीकर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–......................................

.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये.........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 16.12.2022 समय 01.22 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल पुनिया पुत्र श्री श्योजी राम पुनिया निवासी वार्ड नं. 18, खाटुश्यामजी, जिला सीकर ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 9828156934 से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन नम्बर 9694899999 पर कॉल कर श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी द्वारा उसकी फर्म श्री बालाजी अर्थमुवर्स के नाम से नगरपालिका क्षैत्र में करवाये गये कार्यो के बिलो के भुगतान की एवज में 1,50,000रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। उक्त श्री दिनेश कुमार

मीणा को रिश्वत लेते हुये पकड़वाने बाबत कही और एसीबी के किसी कर्मचारी को खाटुश्यामजी भिजवाने की कही। जिस पर परिवादी को बताया कि आपसे हमारे कार्यालय का कर्मचारी श्री रामनिवास थोड़ी देर में आपसे सम्पर्क कर लेगा जो आपके क्षेत्र में ही उपस्थित है। तत्पश्चात पूर्व से दिनांक 15.12.2022 को समय करीब 05.00पीएम पर श्री रामनिवास कानि. 485 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आसूचना संकलन हेतु बैजानीब खाटुश्यामजी की तरफ रवाना शुदा को जरिये मोबाईल फोन कर परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर रिश्वत की मांग के सत्यापन हेतु परिवादी से कस्बा खाटुश्यामजी में सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाने तथा बाद सत्यापन कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी गई।

दिनांक 16.12.2022 समय 02.00 पीएम श्री रामनिवास कानि0 485 ने जरिये मोबाईल फोन मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैनें खाटुश्यामजी स्थित परिवादी गोपाल पुनिया से उसके घर पर सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाई। परिवादी ने बताया कि आरोपी कनिष्ठ अभियन्ता वर्तमान मे होटल सनसाईन मे दलाल श्री मगन लाल के पास बैठा हुआ है ओर मेरे से मेरे वैध कार्य को करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है जिस पर परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि पुनः समझाई एव होटल सनसाईन के लिए रवाना किया गया। थोडी देर बाद परिवादी उपस्थित आया एव टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैने आरोपी कनिष्ठ अभियन्ता के कहे अनुसार होटल सनसाइन मे 50,000/रू श्री मगनलाल को दे दिये है ओर आरोपी ने कहा कि मेरे कार्यालय मे आपकी फाईल एव एमबी निकलवाकर मेरी टेबिल पर रखवा दो तथा शेष राशि सोमवार को देने के लिए कहा है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को वापिस हिदायत दी गई कि आरोपी के कार्यालय जाकर फाईल एव एमबी निकलवाकर उसकी टेबिल पर रखवा दो तथा रामनिवास कानि. को हिदायत की गई कि टेप रिकार्डर को पुनः परिवादी को सुपूर्द कर नगरपालिका खाटुश्यामजी रवाना करें। तत्पश्चात 02.55 पीएम पर श्री रामनिवास कानि0 485 ने जरिये मोबाईल फोन मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैनें परिवादी को टेप रिकार्डर को पुनः परिवादी को सुपूर्द कर नगरपालिका खाटुश्यामजी भेजा था जो थोड़ी देर बाद परिवादी वापिस आया ओर टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर कहा कि आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा के फोन आने के कारण मैने मेरी फाईल एंव एमबी नगरपालिका कार्यालय से निकलवाकर होटल सनसाइन मे ही मोजूद कनिष्ठ अभियन्ता को सुपूर्द कर दी है तथा कानि. ने परिवादी की मन् उप अधीक्षक पुलिस से मोबाईल फोन पर वार्ता करवाई जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं सोमवार को आपको कस्बा खाटुश्यामजी में मिल जाऊगॉ। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एव दिनांक 19. 12.2022, सोमवार को वही मिलने की हिदायत की गई तथा कानि0 रामनिवास को कार्यालय में उपस्थित होने की कही ।

समय 07.30 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री गोपाल पुनिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " निवेदन है कि मै गोपाल पूनिया, निवासी खाटूश्यामजी का रहने वाला हूँ। मै नगर पालिका में ठेकेदारी का काम करता हूँ। मेरे खुद के नाम से फर्म मैसर्स श्री बालाजी अर्थमूवर्स दिनांक 07.07.22 को नगर पालिका खाटूश्यामजी द्वारा कार्य डवलपमेन्ट वर्क ऑफ टिनशेड श्मशान घाट वार्ड नं. 17 को कार्य की लागत 8,47,962 रूपये का था। उक्त कार्य नियत अवधि पूर्ण होचुका है। जिस का जेईएन द्वारा एमबी भरकर भुगतान दिलवाने के बदले में 1,50,000 रूपये रिश्वत के रूपये मांग रहा है। मै जेईएन को रिश्वत न देकर रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। जेईएन से मरा कोई उधारी लेन देन बाकी नही है। सो कानूनी कार्यवाही की जावे। एसडी श्री गोपाल पूनिया पुत्र श्री श्योजी राम पूनिया, जाति जाट, उम्र 50 वर्ष, निवासी खाटूश्यामजी वार्ड नं. 18, खाटूश्यामजी, जिला सीकर मोबाईल नं. 9828156934 दिनांक 16.12.22 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कार्यवाही शुरू की जाती है। एसडी राजेश जागिड़, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, सीकर दिनांक 16.12.22, एसडी श्री नरेन्द्र कुमार दिनांक 19.12.22 व एसडी श्री मनोज कुमार सैनी दिनांक 19.12.22" एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " कस्बा खाटुश्यामजी में परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी के घर पहुँचकर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाई एवं परिवादी के चाहे अनुसार होटल सनसाईन के लिए रवाना किया गया। थोडी देर बाद परिवादी ने

उपस्थित आकर टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैने आरोपी कनिष्ठ अभियन्ता के कहे अनुसार होटल सनसाइन मे 50,000/रू श्री मगनलाल को दे दिये है ओर आरोपी ने कहा कि मेरे कार्यालय मे आपकी फाईल एव एमबी निकलवाकर मेरी टेबिल पर रखवा दो तथा शेष राशि सोमवार को देने के लिए कहा है। जिस पर परिवादी को टेप रिकार्डर को पुनः सुपूर्द कर नगरपालिका खाटुश्यामजी रवाना किया जो परिवादी ने थोड़ी देर बाद वापिस आकर टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर कहा कि आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा के फोन आने के कारण मैने मेरी फाईल एव एमबी नगरपालिका कार्यालय से निकलवाकर होटल सनसाइन मे ही मोजूद कनिष्ठ अभियन्ता को सुपूर्द कर दी है। उपरोक्त बाते मैने आपको जरिये मोबाईल फोन मौके से ही बताई थी। टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद होती है। अतः परिवादी द्वारा कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमारी में रखा गया। आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 18.12.2022 को समय 03.45 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल पुनिया कार्यालय में उपस्थित आया एंव एक प्रार्थना पत्र मय इकरारनामा श्री दिनेश मीणा द्वारा अपनी पत्नी श्रीमति मोनिका मीणा के नाम से एमएस वीर बर्बरीक होटल एण्ड रिसोर्टस एलएलपी से खसरा न04839/4705 रकबा 0.10 है0 राशि 10640000/रू से सम्बन्धित पेश कर बताया कि श्री दिनेश मीणा द्वारा खाटुश्यामजी मे होटल के लिए अपनी पत्नि के नाम जमीन क्रय कर रहा है एंव खाटुश्यामजी मे होटलो/धर्मशालाओ के मालिको को नोटिस देकर डराकर धमकाकर अवैध राशि की वसुली कर रहा है तथा अवैध रूप से प्राप्त राशि को होटल सनसाइन के मालिक श्री मगन लाल एव अन्य दलालो के यहा रख रहा है अभी जो उक्त इकरारनामा के अनुसार तीस लाख रूपये का पेमेन्ट कर दिया है शेष राशि मे लगभग पच्चीस–तीस लाख रूपये इन दलालो के यहां मिल सकते है । जो प्रार्थना पत्र शामिल कार्यवाही किया गया।

दिनांक 19.12.2022 समय 08.50 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीकर को दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में भिजवाने हेतु जरिये दुरभाष निवेदन किया। तत्पश्चात 09.30 एएम इस समय तलविदा गवाह श्री नरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर से उपस्थित कार्यालय आये। समय 10.20 एएम पर परिवादी श्री गोपाल पुनिया ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये फोन बताया की संदीग्ध श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता का मैने गोपनीय रूप से पता किया तो वह कार्यालय में उपस्थित नही आया है। उपस्थित आने पर मैं आपको सूचित कर दूगां जिसके पश्चात ही आप मेरे पास आये। उक्त तथ्य की ताईद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा भी गोपनीय सुत्रो से की तो परिवादी की बताई गयी सूचना सही पाई गयी। समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल पुनिया को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये वाटसअप कॉल कर संदीग्ध श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि वह कार्यालय में उपस्थित नही आया है। उपस्थित आने पर मैं आपको सूचित कर दूगां जिसके पश्चात ही आप मेरे पास आना। उक्त तथ्य की ताईद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा भी गोपनीय सुत्रो से की तो परिवादी की बताई गयी सूचना सही पाई गयी। समय 04.50 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल पुनिया ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाटसअप कॉल कर बताया की संदीग्ध श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता का मैने गोपनीय रूप से पता किया तो वह कार्यालय में आ गया है। उक्त तथ्य की ताईद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा भी गोपनीय सुत्रो से की तो परिवादी की बताई गयी सूचना सही पाई गयी।

तत्पश्चात समय 05.00 पीएम पर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे प्राइवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मौतवीरान श्री नरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री रामनिवास कानि. नं. 485 एवं श्री सुरेश चन्द कानि. चालक नं. 60 के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड हमरा लेकर जरियें प्राईवेट वाहन के एवं श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक मय श्री मुलचन्द कानि. नं. 207, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्रीमती मंजु मकानि. 483 एवं श्री अमीत कुमार कनिष्ठ सहायक के दूसरे प्राईवेट वाहन के कस्बा खाटुश्यामजी के लिये रवाना होता हूँ। समय 05.50 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सीकर से रवाना होकर मण्डा रोड तन मदनी मण्डा रोड पर पहूँचा जहाँ परिवादी गोपाल पुनिया अपनी कैम्पर गाडी सहित मौजूद मिला, मौके पर मुख्य सड़क के किनारे वाहनों को साईड में रूकवाया गया। मजिद दरियाफ्त पर

परिवादी ने दिनांक 16.12.2022 को श्री रामनिवास कानि. नं. 485 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी से पूर्व का कोई उधार लेनदेन एवं आपसी रंजिश होने से ईन्कार किया। परिवादी गोपाल पुनिया का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात समय 06.20 पीएम पर परिवादी गोपाल पुनिया ने हिदायत देने पर आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी को रिश्वत में दिये जाने वाले दो–दो हजार रूपयों के 50 नोट कुल 1,00000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–7FG 138687
2–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–0KC 820523
3–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–5LN 738133
4–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–0AP 952559
5–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–5KF 143462
6–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–3LD 651062
7–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–3DQ 388659
8–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8GK 676215
9–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8EF 413338
10–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–1GC 201492
11–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–0EL 894209
12–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–0HS 697545
13–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–0DN 813905
14–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–3KC 769882
15–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–5EK 643424
16–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8FN 551301
17–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–5BR 185879
18–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–1LD 809835
19–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–5KT 011034
20–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8BF 880650
21–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–6BR 564285
22–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–5EL 137164
23–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–4FM 920890
24–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–6CE 799886
25–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–2GQ 197645
26–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–3AL 022542
27–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–5MS 888758
28–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–3AE 297310
29–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–9FG 664785
30–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–0HR 611177
31–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–0CS 254713
32–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8HL 057744
33–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–3HK 236965
34–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–9HL 812266
35–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–4LQ 913989
36–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–4FR 592917
37–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8HB 450311
38–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–7DG 707596
39–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–4HM 583970
40–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8EE 214057

41–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8GB 175344
42–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–4HL 618225
43–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–7AH 516748
44–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–2FP 150985
45–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–1GH 010291
46–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–1CR 085099
47–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–8FR 142638
48–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–3HS 831895
49–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–3DP 323689
50–एक नोट दो हजार रुपये का नम्बर–9CC 968254

फिनोफ्थलीन पाऊडर की सीसी वाहन के डेस्क बोर्ड में से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेश चन्द कानि. चालक नं. 60 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री नरेन्द्र कुमार से परिवादी श्री गोपाल पुनिया की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1,00000 रूपयों के नोट श्री सुरेश चन्द कानि. चालक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 9828156934 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन नम्बर 9694899999 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेश चन्द कानि. चालक से वाहन के डेस्ब बोर्ड में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेश चन्द कानि. चालक के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी गोपाल पुनिया को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। कानि. चालक श्री सुरेश चन्द वाहन में ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई। तत्पश्चात समय 07.00 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल पुनिया ने म्न उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि शाम के समय जेईएन के पास काफी लोग उसके कमरे पर रहते है और वह शराब पार्टी करता रहता है। शाम को अन्धेरा होने एवं आरोपी के पास कई लोगो के आने जाने के मध्यनजर अब कार्यवाही नही किये जाने के कारण परिवादी से पाउडर लगे एक लाख रूपये प्राप्त कर उनको एक लिफाफे में रखवाये गये तथा डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी को सुबह खाटुश्यामजी में मिलने की मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के सीकर के लिये रवाना होता हूँ। समय 07.40 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। पाउडर लगे रिश्वती नोट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड आदि सुरक्षित आलमारी में रखवाये गये। गवाहान को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। कल दिनांक 20.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 20.12.2022 समय 09.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक, उपस्थित कार्यालय आये। समय 10.05 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस की आलमीरा में लिफाफे में रखे पाउडर लगे रिश्वती नोट एक लाख रूपये, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड एवं दूसरा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, के हमरा लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मौतवीरान श्री नरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री रामनिवास कानि. नं. 485 एवं श्री सुरेश चन्द कानि. चालक नं. 60 के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप, प्रिन्टर के जरियें प्राईवेट वाहन के एवं श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक मय श्री मुलचन्द कानि. नं.

207, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्रीमती मंजु मकानि. 483 एवं श्री अमीत कुमार कनिष्ठ सहायक के दूसरे प्राईवेट वाहन के कस्बा खाटुश्यामजी के लिये रवाना होता हूँ। समय 10.50 एएम इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सीकर से रवाना होकर कस्बा खाटुश्यामजी में सांवलपुरा तिराहा पहूँचे जहॉ परिवादी गोपाल पुनिया मौजूद मिला, जहॉ पर वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी गोपाल पुनिया की जामा तलाशी गवाह श्री नरेन्द्र कुमार से लिवाई जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में पाउडर लगे रिश्वती नोट एक लाख रूपये श्री सुरेश चन्द कानि. चालक से रखवाये गये तथा तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी गोपाल पुनिया को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी गोपाल पुनिया को उसकी गाडी केम्पर से नगरपालिका खाटुश्यामजी की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय11.20 एएम इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मण्ढा चोराहे पर परिवादी के मुर्कर इशारे के इन्तजार में मुकीम को परिवादी श्री गोपाल पुनिया ने टैप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मैने नगरपालिका में पहुँच जेईएन से मेरे कार्य की एमबी के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने कहॉ कि मैं अतिक्रमण हटाने जा रहा हूँ आपसे तीन बजे मिलुंगा और आपके कार्य का नाप–जोख कर आपकी एमबी भरूंगा। जिस पर परिवादी से पाउडर लगे एक लाख रूपये प्राप्त कर उनको एक लिफाफे में रखवाये जाकर परिवादी को मुनासीब हिदायत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के लाखनी रोड पर माना बाबा धाम की तरफ रवाना हुयें।

तत्पश्चात समय 03.05 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के लाखनी रोड पर माना बाबा धाम से रवानाशुदा खाटुश्यामजी में मण्ढा चोराहे पर पहुँचे जहॉ परिवादी उपस्थित मिला। जहॉ पर वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी गोपाल पुनिया से मिले तो परिवादी ने बताया कि जेईएन इस समय नगरपालिका में न मिलकर होटल सनसाईन में मिलेगा। जिस पर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री नरेन्द्र कुमार से लिवाई जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में पाउडर लगे रिश्वती नोट एक लाख रूपये श्री सुरेश चन्द कानि. चालक से रखवाये गये तथा तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी गोपाल पुनिया को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी गोपाल पुनिया को उसकी गाडी केम्पर से व श्री रामनिवास कानि. को पैदल होटल सनसाईन की तरफ रवाना किया गया। समय 3.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मण्ढा चोराहे पर परिवादी के मुर्कर इशारे के इन्तजार में मुकीम को परिवादी श्री गोपाल पुनिया ने टैप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मैने होटल सनसाईन में पहुँच मगनलाल से जेईएन श्री दिनेश कुमार मीणा के बारे में पुछा तो मगनलाल ने होटल के अन्दर बैठे जेईएन से जरिये इन्टरकॉम फोन से पुछकर बताया कि जेईएन साहब चार बजे नगरपालिका में मिलेंगे। जिस पर परिवादी को उसकी गाडी केम्पर के साथ लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रीगंस रोड पर गोल्डन वाटर पार्क के पास मुकीम हुयें। समय 04.02 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, हमराहीयान के रीगंस रोड पर गोल्डन वाटर पार्क के पास मुकीम ने परिवादी को टैप रिकार्डर सुपुर्द कर तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी जाकर उसकी गाडी केम्पर से व श्री रामनिवास कानि. को पैदल–पैदल नगरपालिका खाटुश्यामजी की तरफ रवाना किया गया। समय 04.32 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन से बताया कि जेईएन नें मेरे साथ मौके पर जाकर मेरे द्वारा करवाये गये कार्य का नाप –जोख कर रिश्वति राशि एक लाख रूपये होटल सनसाईन पर श्री मगनलाल को देने की कही है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को आरोपी जेईएन के बतायेनुसार रिश्वती राशि मगनलाल को देने की कही एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। तत्पश्चात कस्बा खाटुश्यामजी में मण्ढा चोराहे पर मुकिम मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने समय करीब 04.40 पीएम पर परिवादी द्वारा मिस कॉल का मुर्कर ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी को साथ लेते हुये रींगस रोड पर होटल सनसाईन के पास बनी श्री सुभाष की चाय की स्टॉल के पास परिवादी के

पास पहूँचा जहॉ परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर चाय की स्टॉल पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ''यही मगन लाल है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से 1,00000 रूपये अपने हाथों से रिश्वती राशि लेकर अपने पास रख लिये थे। फिर मैं आपको ईशारा करने रोड की दूसरी तरफ आ गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम मगन लाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट उम्र– 39वर्ष निवासी गॉव नयाबास पोस्ट दुधवा पुलिस थाना जीणमाता जिला सीकर हाल मालिक, होटल सनसाईन, खाटुश्याजी जिला सीकर होना बताते हुये बताया कि'' गोपाल पुनिया ने रूपये श्री दिनेश कुमार मीणा, जेईएन साहब, नगरपालिका खाटुश्यामजी को देने के लिए कहने पर मैंने इनसे रूपये लेकर मेरे पास ही बैठे श्री पूर्णमल कुमावत को दे दिये जिन्होने रूपये मेरे से लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखे है।'' जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री मगनलाल के पास बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उसका नाम पता एवं मगनलाल से रूपये लेने के सम्बन्ध में पुछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री पूर्णमल कुमावत पुत्र श्री रामदेव कुमावत जाति कुमावत उम्र–48वर्ष निवासी श्याम बगीची के पास वार्ड नं. 05 खाटुश्यामजी जिला सीकर होना बताते हुये मगनलाल से रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में कहा कि '' मैं चाय की स्टॉल पर मगनलाल से मिला तो इन्होने मुझे एक लाख रूपये दिये जो मैंने गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहीनी जेब में रख लिये थे जो मेरे एंव मगनलाल व मोहनलाल फलडोलिया के सयुक्त प्लॉट के बैचान के सम्बन्ध में मैं श्री मगनलाल के 25लाख रूपये मांगता था जिसके क्रम में मैनें उक्त रूपये प्राप्त किये थे जो मेरे पास है'' इस सम्बन्ध में मगनलाल से पुछने पर बताया कि'' मेरे, पूर्णमल व मोहनलाल फलडोलिया के सयुक्त प्लॉट के बैचान के सम्बन्ध में श्री पूर्णमल मेरे 25लाख रूपये मांगता था जो मैंने मेरे पास गोपाल पुनिया के द्वारा दिये हुये रूपये इनको दिये थे तथा पॉच लाख रूपये मेरे होटल में रखे हुये थे वो देने थे लेकिन इतनें में ही आप आ गये'' जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री मगनलाल एवं श्री पूर्णमल कुमावत को प्लॉट के बैचान एवं 25लाख रूपये मांगने के सम्बन्ध में कोई लिखापढी या इकरारनामे बाबत पुछा तो दोनो ने ही कोई लिखापढी या इकरारनामा नही होना बताया। मौके पर श्री मगनलाल को श्री दिनेश कुमार मीणा, जेईएन के फोन पर वार्ता करवानी चाही तो श्री दिनेश कुमार मीणा जेइएन ने मगनलाल का फोन रिसीव नही किया। मौके पर काफी भीड़भाड़ इकठी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से श्री मगनलाल एवं पूर्णमल को हमरा वाहन में लेकर पुलिस थाना खाटुश्यामजी पर पहुँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री मगनलाल को पूनः परिवादी श्री गोपाल पुनिया से रिश्वति राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पुछा तो बताया कि ''गोपाल पुनिया ने रूपये श्री दिनेश कुमार मीणा, जेईएन साहब, नगरपालिका खाटुश्यामजी को देने के लिए कहने पर मैंने इनसे रूपये लेकर मेरे पास ही बैठे श्री पूर्णमल कुमावत को दे दिये जिन्होने रूपये मेरे से लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखे है।'' मौके पर परिवादी ने कहॉ कि ''मैंने रूपये देते समय मगनलाल को कहा कि आप श्री दिनेश कुमार मीणा, जेईएन साहब से बात करलो और उनको कहदो कि एक लाख रूपये गोपाल पुनिया ने दे दिये है जिस पर मेरे को मगनलाल ने कहा कि आप जाओ मैं बाद में बात कर लूगां'' इस सम्बन्ध में मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री मगनलाल को पुछने पर मगनलाल ने बताया कि '' श्री गोपाल पुनिया ने मेरे को रूपये देते समय कहा था कि आप जेईएन साहब को फोन करके कहदो कि एक लाख रूपये गोपाल पुनिया ने दे दिये है, जिसपर मैने इनको कहा था कि मैं बाद में बात कर लूगां'' इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मगनलाल को श्री दिनेश कुमार मीणा, जेईएन के लिये रूपये क्यो लिये इस सम्बन्ध में पुछा तो मगनलाल ने बताया कि'' श्री दिनेश कुमार मीणा, जेईएन पहले मेरे मकान में किराये पर रहते थे जिस कारण मेरी उनसे जान पहचान होने से एवं मेरी होटल सनसाईन पर ही रूकते है जिसको मैनें मेरे होटल का कमरा नं. 101 दे रखा है। इस कारण श्री दिनेश कुमार मीणा जेईएन साहब के नाम से कोई ठेकेदार वगैरा रूपये देता है तो मैं लेकर जेईएन साहब को देदेता हूँ इसी कारण मैंने गोपाल पुनिया से जेईएन को देने के लिये रूपये प्राप्त किये थे'' मौके पर परिवादी ने कहॉ कि ''दिनांक 16.12.2022 को भी मैं मेरे कार्य के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार मीणा, जेईएन से श्री मगनलाल के होटल सनसाईन पर मिला था उस दिन भी जेईएन साहब ने मेरे से पचास हजार रूपये श्री मगनलाल को दिलवाये थे'' इस समबन्ध में मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मगन लाल को पुछने पर बताया कि'' दिनांक 16.12.

2022 को श्री गोपाल पुनिया अपने कार्य के सम्बन्ध में मेरी होटल सनसाईन पर जेईएन साहब से मिले थे तथा उनके कहने पर मैंने गोपाल पुनिया से पचास हजार रूपये प्राप्त किये थे एवं उसी दिन मैनें पचास हजार रूपये श्री दिनेश कुमार मीणा , जेईएन साहब को दे दिये थे''। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूनः श्री पूर्णमल कुमावत को तसल्ली पूर्वक श्री मगनलाल द्वारा रूपये देने के बारे में पुछा तो श्री पूर्णमल कुमावत नें कहा कि '' मैं चाय की स्टॉल पर मगनलाल से मिला तो इन्होने मुझे एक लाख रूपये दिये जो मैंने गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहीनी जेब में रख लिये थे जो मेरे एंव मगनलाल व मोहनलाल फलडोलिया के सयुक्त प्लॉट के बैचान के सम्बन्ध में मैं श्री मगनलाल के 25लाख रूपये मांगता था जिसके क्रम में मैनें आज दोपहर में मगनलाल को फोन किया तो मगनलाल ने कहा था कि होटल पर आकर रूपये ले जाना, एक लाख रूपये इसी बाबत मेने प्राप्त किये थे जो मेरे पास है'' इस सम्बन्ध में मगनलाल से पुछने पर बताया कि'' मेरे, पूर्णमल व मोहनलाल फलडोलिया के सयुक्त प्लॉट के बैचान के सम्बन्ध में श्री पूर्णमल मेरे 25लाख रूपये मांगता था जो आज दोपहर में मेरे पास पूर्णमल का फोन आने पर मैने इनको होटल पर आकर रूपये ले जाने बाबत कहा था जो मैंने मेरे पास गोपाल पुनिया के द्वारा दिये हुये रूपये इनको दिये थे तथा पॉच लाख रूपये मेरे होटल में रखे हुये थे वो देने थे लेकिन इतनें में ही आप आ गये''। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूनः श्री मगनलाल एवं श्री पूर्णमल कुमावत को प्लॉट के बैचान एवं 25लाख रूपये मांगने के सम्बन्ध में कोई लिखापढी या इकरारनामे बाबत पुछा तो दोनो ने ही कोई लिखापढी या इकरारनामा नही होना बताया।

तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मगनलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री मगनलाल के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात कॉच के दो गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में श्री पूर्णमल कुमावत के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग बहुत हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री पूर्णमल कुमावत के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग बहुत हल्का गुलाबी हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–3 एंव आर–4 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–3, एल–4 से सील्ड किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री पूर्णमल कुमावत ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे दो–दो हजार रूपयों के नोटों की थेई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री नरेन्द्र कुमार से गिनवाया गया जो कुल 1,00000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द बरामदगी में अंकित करवाकर 1,00000रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री पूर्णमल कुमावत को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में श्री पूर्णमल कुमावत की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब, जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात श्री पूर्णमल कुमावत की पेन्ट की

जेबों की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की दाहीनी जेब में 700 रूपये पाये गये जिनके बारें में पूछने पर पूर्णमल कुमावत ने स्वयं के होना बताया। उक्त 700 रूपयों को पूर्णमल कुमावत को सुपुर्द किया गया। पूर्णमल कुमावत की उक्त पेन्ट बरंग काला की पीछे की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सीव्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''ए'' अंकित किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सीव्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, आर–3, आर–4, एल–3, एल–4, पी–1, पी–2, सीव्ड रिश्वती राशि के कागज एंव सीव्ड पेन्ट के पैकेट मार्क ''ए'' पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 05.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई एवं श्री रामनिवास कानि. नं. 485 एवं श्री मुकेश कानि. नं.1540 पुलिस थाना खाटुश्यामजी को आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, जेईएन को दस्तयाब करके लाने हेतु प्राईवेट वाहन के रवाना कस्बा खाटुश्यामजी किया गया। समय 05.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने बताया कि दिनांक 16.12.2022 को आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा ने होटल सनसाईन पर वार्ता के दौरान मेरे से पचास हजार रूपये मगनलाल को दिलवाये थे जो होटल सनसाईन में लगे केमरो मे रिकार्ड हो गया था। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक मय श्री मुलचन्द कानि. एवं श्री अमित कनिष्ठ सहायक एवं मंजु म.कानि. को होटल सनसाईन से सीसीटीवी डीवीआर जप्त कर लाने हेतू प्राईवेट वाहन रवाना किया एवं पुलिस थाना खाटुश्यामजी के स्टाफ को इमदाद हेतु रवाना होटल सनसाईन किया।

तत्पश्चात समय 06.30 पीएम पर श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई मय हमराहियान के प्राइवेट वाहन के उपस्थित आये एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि हमने श्री दिनेश कुमार मीणा की लोकेशन के आधार पर राजेन्द्र कोलायत के पेट्रोल पम्प पर पहुँचे तो आरोपी दिनेश कुमार मीणा गाडी नं. आरजे 14 यूएच 5694 में ड्राईवर सीट पर बैठे हुये को श्री रामनिवास कानि. ने गेट खोलने की कोशिश की तो उसने गेट को अन्दर से लॉक कर गाडी को स्पीड से बैक किया तब हमने प्राइवेट वाहन को उसके आगे लगाया तब उसने गाडी को स्पीड से गाडी को आगे की तरफ घुमाकर को भगाने की कोशिश की तो श्री रामनिवास कानि. गाडी के आगे खड़ा हो गया इतने मे ही मन एएसआई ने पास में ही पड़ी हुई प्लास्टीक की बाल्टी को आरोपी की गाडी के शिशा पर मारी जिस पर आरोपी गाडी को स्पीड से भगाकर कस्बा खाटुश्यामजी की तरफ आ गया जिसका हमने पिछा किया तो वह अपनी गाडी को खाटुश्यामजी में ईधर उधर भगाते हुये मण्डा मदनी की ओर भगा ले गयां। जिसका हमने पीछा किया लेकिन आरोपी गाडी को सीकर की तरफ भगा ले गया और पकड़ में नही आया। इस सम्बन्ध में श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई ने प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो शामिल कार्यवाही किया गया। समय 06.40 पीएम पर श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के उपस्थित आये एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस को होटल सनसाईन खाटुश्यामजी से जरिये फर्द जप्त कर लाये डीवीआर, सीपी प्लस, मूल पत्रावली नगर पालिका, खाटूश्यामजी बाबत निर्माण स्वीकृति श्री श्याम सेवा सदन खाटूश्यामजी, एक नोट बुक एवं 5,00,000/– रूपये नकद पेश किये। फर्द को शामिल कार्यवाही कर जप्त वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात 06.50 पीएम पर श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक द्वारा जप्त कर लायी गयी नगरपालिका खाटुश्यामजी की पत्रावली बाबत निमार्ण स्वीकृति श्री श्याम सेवा सदन, खाटुश्यामजी लिखी हुई एवं नगद राशि पॉच लाख रूपये के सम्बन्ध में दोनो स्वतन्त्र गवाहन के रूबरू श्री मगनलाल को पुछा गया तो मगनलाल ने बताया कि उक्त पत्रावली श्री दिनेश कुमार मीणा की है जो मेरे होटल में ही कमरा नं. 101 में रहते है इस कारण मेरी होटल के काउन्टर पर बैठ जाते है एवं पत्रावली वगैरा भी छोड़ देते है तथा पॉच लाख रूपये भी श्री दिनेश कुमार मीणा ने मेरे को दिनांक 19.12.2022 को शाम को सुरक्षित रखने के लिए दिये थे जो मैंने मेरे काउन्टर में रखे थें।

तत्पश्चात समय 7.00 पीएम पर श्री मगन लाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट उम्र– 39 वर्ष निवासी गॉव नयाबास पोस्ट दुधवा पुलिस थाना जीणमाता जिला सीकर हाल मालिक, होटल सनसाईन, खाटुश्याजी जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय 07.15 पीएम पर श्री पूर्णमल कुमावत पुत्र श्री रामदेव कुमावत जाति कुमावत उम्र–48 वर्ष निवासी श्याम बगीची के पास वार्ड नं. 05 खाटुश्यामजी जिला

सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात समय 07.35 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल पुनिया द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 16.12.2022 को अलग–अलग समय में दो बार में आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी गोपाल पुनिया ने स्वंय की व आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर एवं मगनलाल की आवाजों की पहचान की। समय 08.45 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल पुनिया द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.12.2022 को आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर एवं दलाल श्री मगनलाल से हुई अलग–अलग तीन बार में बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकाड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी गोपाल पुनिया ने स्वंय की व आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर एवं आरोपी मगनलाल की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात समय 10.00 पीएम पर पूर्व से जरिये मोबाईल फोन तलबीदा श्री विशाल यादव, ईओ नगरपालिका खाटुश्यामजी उपस्थित आया एवं अपने कार्यालय के पत्रांक 8388 दिनांक 20.12.2022 मन उप अधीक्षक को सुर्पुद कर बताया कि परिवादी श्री गोपाल पुनिया की फर्म श्री बालाजी अर्थमूवर्स को आवटिंत किये गये विकास कार्यो की फाईल व माप पुस्तिका नगरपालिका खाटुश्यामजी में उपलब्ध नही है। परिवादी की फर्म से सम्बन्धित फाईल एवं माप पुस्तिका कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश कुमार मीणा के पास ही है। ईओ द्वारा सुपुर्द पत्र को शामिल कार्यवाही कर इओ को रूखसत किया गया। रात्रि होने से घटनास्थल का निरीक्षण कर नकशा मौका नही बनाया जा सकता।

दिनांक 21.12.2022 समय 06.40 एएम पर सुर्योदय होकर उजाला होने पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार किया गया। तत्पश्चात मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को रूखसत कर वजह सबूत माल व रिकार्ड को सुरक्षित मालखाना में जमा करवाने हेतु पांबद किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी गोपाल पुनिया की फर्म श्री बालाजी अर्थमूवर्स द्वारा नगरपालिका खाटुश्यामजी क्षैत्र में करवाये गये कार्यो की एमबी भरकर भुगतान दिलवाने की एवज में परिवादी से 1.50 लाख रूपये की मांग कर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 16.12.2022 को पचास हजार रूपये अपनी मौजुदगी में श्री मगनलाल को दिलवाये तथा एक लाख रूपये ओर देने की बात पर सहमत हुये तथा दिनांक 20.12.2022 को रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी दिनेश कुमार मीणा ने रिश्वति राशि श्री मगनलाल को देने की कहना तथा आरोपी श्री मगन लाल द्वारा एक लाख रूपये जेईएन के लिए बतौर रिश्वत प्राप्त कर श्री पूर्णमल कुमावत को दे दिये जो पूर्णमल की जेब से बरामद होने पर श्री मगनलाल एवं श्री पूर्णमल कुमावत को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता की काफी तलाश की गई लेकिन नही मिला तथा आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा परिवादी श्री गोपाल पूनिया के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय एमबी के अपने कब्जे में रख कर भाग जाना इस तथ्य की ताईद अधिशांषी अधिकारी, नगर पालिका खाटूश्यामजी के पत्रांक 8328 दिनांक 20.12.22 के द्वारा होती है।

आरोपीगण श्री दिनेश कुमार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर, श्री मगनलाल (प्राइवेट व्यक्ति) एवं श्री पूर्णमल कुमावत (प्राइवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 एवं 7–ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी, 201 भा.द.स. की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(राजेश जांगिड)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश जांगिड़, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी, 201 भादंसं में आरोपीगण 1. श्री दिनेश कुमार चांदा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा, कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका खाटूश्यामजी, जिला सीकर 2. मगन लाल पुत्र श्री सुरजाराम निवासी गांव नयाबास पोस्ट दुधवा, पुलिस थाना जीणमाता, जिला सीकर हाल मालिक, होटल सनसाईन, खाटूश्यामजी, जिला सीकर एवं 3. श्री पूर्णमल कुमावत पुत्र श्री रामदेव कुमावत, निवासी श्याम बगीची के पास वार्ड नम्बर 05, खाटूश्यामजी, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 480/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21/12/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 4094-97 दिनांक 21.12.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-2, जयपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

21/12/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।